(वाद संख्या–331/4/23/2019)

05.10.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुरेन्द्र सहनी, के पुत्र, शिवम कुमार, जो GLAZE TRADING INDIA PRIVATE LIMITED में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कार्य करते थे, की घटिया खाना देने से दिनांक–08.04.2019 को हुई मृत्यु पर कार्रवाई से संबंधित है।

परिवादी की ओर से उपरोक्त आशय का परिवाद–पत्र दाखिल करने के पश्चात् समान आशय का अनुरोध श्री अजय निषाद, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा, मुजफ्फरपुर लोक सभा क्षेत्र द्वारा भी अपने पत्र के माध्यम से किया गया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिवादी की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग में उपरोक्त आशय का परिवाद पत्र दाखिल करने के पूर्व ही मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में समान आशय का एक परिवाद पत्र संख्या–643/2020 दाखिल किया गया है, जो वर्त्तमान में विचारणार्थ लंबित है।

किसी भी मामले की सुनवाई अगर किसी न्यायालय में लंबित रहती है तो राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा समान आशय के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

अब, जबकि परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों के समरूप एक मामला एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी व माननीय सांसद को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक